

812 23
11.04.2023

S.W.
11-4-23
P.

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्यालय बैढन,
जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक- 13...../सी.जे.एम./2023

सिंगरौली, दिनांक 11.04.2023

:: संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश ::

मैं के.पी. सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिंगरौली (म.प्र.) प्रशासनिक कार्य व्यवस्था की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) और 15(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक 2023 प्रभावशील दिनांक 10.01.2023 में निम्नलिखित संशोधन करता हूँ :-

1. आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक के कॉलम नंबर 6 में सुश्री शाम्भवी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मु0 बैढन, जिला सिंगरौली म0प्र0 का नाम विलोपित कर सुश्री आयुषी उपाध्याय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मु0 बैढन, जिला सिंगरौली म0प्र0 का नाम स्थापित किया जाता है तथा आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक के नोट के पैरा 10 में सुश्री शाम्भवी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैढन, जिला सिंगरौली का नाम विलोपित कर सुश्री आयुषी उपाध्याय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैढन, जिला सिंगरौली का नाम स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार परिशिष्ट अ में सुश्री शाम्भवी सिंह, जे.एम.एफ.सी. का नाम विलोपित कर सुश्री आयुषी उपाध्याय, जे.एम.एफ.सी. का नाम स्थापित किया जाता है तथा चार्ज प्रभार में सुश्री शाम्भवी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैढन, का नाम विलोपित कर सुश्री आयुषी उपाध्याय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैढन, का नाम स्थापित किया जाता है।
2. आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक के कॉलम नंबर 8 में श्री हर्ष ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर, जिला सिंगरौली म0प्र0 का नाम विलोपित कर श्रीमती अदिती तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर, जिला सिंगरौली म0प्र0 का नाम स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार परिशिष्ट अ में श्री हर्ष ठाकुर, जे.एम.एफ.सी. का नाम विलोपित कर श्रीमती अदिती तिवारी, जे.एम.एफ.सी. का नाम स्थापित किया जाता है तथा चार्ज प्रभार में श्री हर्ष ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर, का नाम विलोपित कर श्रीमती अदिती तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर, का नाम स्थापित किया जाता है।
3. आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक के कॉलम नंबर 9 में श्रीमती तनवी माहेश्वरी ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर, जिला सिंगरौली म0प्र0 का नाम विलोपित कर श्री अंकुर तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर, जिला सिंगरौली म0प्र0 का नाम स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार परिशिष्ट अ में श्रीमती तनवी माहेश्वरी ठाकुर, जे.एम.एफ.सी. का नाम विलोपित कर श्री अंकुर तिवारी, जे.एम.एफ.सी. का नाम स्थापित किया जाता है तथा चार्ज प्रभार में श्रीमती तनवी माहेश्वरी ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर, का नाम विलोपित कर श्री अंकुर तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर, का नाम स्थापित किया जाता है।


Sd
(के.पी. सिंह)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सिंगरौली मुख्या० बैढन (म०प्र०)

पृ०क० / 45① / सी०जे०एम० / 2023

सिंगरौली, दिनांक- 11.04.2023

1. कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सिंगरौली की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निष्पादन लिपिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली म०प्र०।
3. निष्पादन लिपिक, न्यायालय सुश्री शाम्भवी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुख्यालय, बैढन, जिला-सिंगरौली म०प्र०।
4. सुश्री आयुषी उपाध्याय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुख्यालय बैढन, जिला सिंगरौली म०प्र०।
5. निष्पादन लिपिक, न्यायालय श्री हर्ष ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवसर, जिला-सिंगरौली म०प्र०।
6. श्रीमती अदिती तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर, जिला सिंगरौली म०प्र०।
7. निष्पादन लिपिक, न्यायालय श्रीमती तनवी माहेश्वरी ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवसर, जिला-सिंगरौली म०प्र०।
8. श्री अंकुर तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर, जिला सिंगरौली म०प्र०।
9. पुलिस अधीक्षक सिंगरौली की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सिंगरौली जिले के समस्त थाना प्रभारी को सूचित करने का कष्ट करें।
10. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ बैढन/देवसर की ओर सूचनार्थ।


(के.पी. सिंह) 11/04/23

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सिंगरौली मुख्यालय बैढन (म०प्र०)